न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)
पीठासीन अधिकारी– श्री मती सीता शर्मा आर.ए.एस.

1. साबीरा बानो पत्नी हारून अली निवासी तेलयान मस्जिद के पास वार्ड नं. 06 चूरू , राजस्थान

–वादीया –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व ,श्रीविजयनगर ।

– प्रतिवादी –

1. तैयब हुसैन पुत्र हारून अली निवासी वार्ड नं. 06 चूरू, राजस्थान
2. सबीना पुत्री हारून अली पत्नी रवानी निवासी हेत्तमसर तहसील रामगढ जिला सीकर राजस्थान
3. हसीना पुत्री हारून अली पत्नीनवीद अहमद निवासी वार्ड नं. 27 नया व्यापारियों का महोल्ला चुरू, राजस्थान

तरतीबी पक्षकारान

उपस्थित :– श्री प्रेमसिंह सैनी एडवोकेट – वादी की ओर से
तहसीलदार ,श्रीविजयनगर – पैरवकार राज

(वाद पत्र अ.धा. 88 आर.टी.ए. सपठित धारा 136एल.आर.एक्ट)

प्रकरण संख्या 75 / 2022
जी.सी.एम.एस. 2022 / 85

दिनांक : 19.02.2024

प्रकरण के संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार से है :–

कि वादीया के द्वारा एक वाद पत्र अनवानी इस न्यायालय में पेश किया है कि वादीया के पति हारून अली पुत्र मकबूल हुसैन के नाम चक 18ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 87 प.न. 228 / 480 का 6.072है. आंवटित हुई उक्त भूमि की खातेदारी दिये जाने के समय वादीया के पति का नाम हारून अली के स्थान पर हसन अली पुत्र मकबूल दर्ज हो गया इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हसनअली पुत्र मकबूल दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम हारून अली पुत्र मकबूल हुसैन है जो वादीया के व पति आंवटि के पहचान व शिक्षा संबधि दस्तावेजो , वोटर कार्ड, आंवटन के लिए किये गये आवेदन व अन्य दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र, बैचलर आफ आर्टस के सर्टीफिकेट, माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र में पति का नाम हारून अली पुत्र मकबूल हुसैन किंत है । भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति का नाम गलत दर्ज हो जाने से भूमि सुधार हेतु ऋण प्राप्त करने, आबयाना अदा करने, लगान आदि अदा करने सहीत सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में असुविधा होने व वाद पत्र प्रस्तुत करने से 10रोज पूर्व ऋण हेतु बैंक अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर बैंक अधिवक्ता के द्वारा राजस्व रिकार्ड में उक्त गलती बाबत बताया जाकर इसे दूरूस्त करवाने का कहा तो वादीया ने राजस्व रिकार्ड में दूरूस्त करने व वारिसान इन्तकाल करने बाबत तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर से सम्पर्क किया जिस पर प्रारम्भतः उनके द्वारा आश्वासन दिया

अधिकारी
विजयनगर

Scanned with CamScanner

जाने के उपरांत अन्ततः इस बाबत चाराजोही उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में करने का कहा जाने पर वादीया को वाद कारण प्राप्त होने पर अनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर अनुतोष चाहा गया है कि चक 18ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 87 प.न. 228/480 का 6.072है भूमि के रिकार्ड में दर्ज हसन अली पुत्र मकबूल के स्थान पर हारून अली पुत्र मकबूल हुसैन दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये जावे व अन्य अनुतोष जो हक में सादिर फरमाये जाने के अनुतोष चाहे है ।

यह कि वाद पत्र पेश किया जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरीये सम्मन तलब किया गया व तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर के द्वारा अपना जवाब मय पटवारी रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत कर हसन अली पुत्र मकबूल व हारून अली पुत्र मकबूल हुसैन दौनो नाम का एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया है व तरतीबी पक्षकारान के द्वारा जरीये वकील प्रस्तुत जवाब वाद पत्र में वादीया के वाद पत्र का समर्थन किया है । वादीया के द्वारा अपने वाद के संमर्थन में अपने पति आंवटि का वोटर पहचान पत्र, बैचलर आफ आर्टस सर्टीफिकेट, माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ,आंवटन के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया व स्वय वादीया का आधार कार्ड सरपंच ग्राम पंचायत का दौनो नाम की एक ही व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है एंव प्रदर्शित करवाया है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी के वाद पत्र में अनुतोष चाहा गया है कि वर्तमान जमाबनदी चक 18ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 87 प.न. 228/480 का 6.072है भूमि के राजस्व रिकार्ड मे हसन अली पुत्र मकबूल के स्थान पर हारून अली पुत्र मकबूल हुसैन दूरूस्त किया जावे पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एंव जवाब प्रतिवादी का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रतिवादी व तरतीबी पक्षकारान के द्वारा वाद पत्र के तथ्यों से कोई एतराज प्रकट नहीं किया है पत्रावली में आयी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधर पर वादी का वाद पत्र अ.धा. 88 आर. टी.ए. सपठित धारा 136एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी चक 18ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 87 प.न. 228/480 का 6.072है भूमि के राजस्व रिकार्ड मे हसन अली पुत्र मकबूल के स्थान पर हारून अली पुत्र मकबूल हुसैन घोषित किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व श्रीवजियनगर उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबन्दी में दूरूस्ती कर हसन अली पुत्र मकबूल के स्थान पर हारून अली पुत्र मकबूल हुसैन दर्ज करें । पत्रावली फैसला शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 19.2.24. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है ।

श्रीमती सीता शर्मा

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीविजयनगर ।

Scanned with CamScanner